17

:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू0रा0/2018/1850–विरूद्ध आदेश दिनांक 13–03–2018 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 172/2017–18/अपील।

राजेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार,निवासी
अशोकनगर,तहसील व जिला,अशोकनगर,म0प्र0। ———निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन ।
2. अुनविभागीय अधिकारी,राजस्व,अशोकनगर
   म0प्र0। ———गैरनिगरानीकर्तागण

1. श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक————————निगरानीकर्ता के लिये।
2. श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक————————गैरनिगरानीकर्तागण के लिये।

:: आदेश::

(आज दिनांक 18.5.18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 172/2017–18/ अपील में पारित आदेश दिनांक 13–03–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी ग्राम अशोकनगर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि कस्वा अशोकनगर में संचालित मैरिज गार्डनों द्वारा व्यावसायिक रूप से कार्य किया जा रहा है,लेकिन उनके द्वारा व्यावसायिक डायवर्सन नहीं कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के सरल क्रमांक 10 पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 641 मिन–10/1 रकवा 0.498 है0 पर देवांश मैरिज गार्डन संचालित किये जाने का उल्लेख किया गया है। पटवारी ग्राम से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–20 (4)/2015–16 पर पंजीवद्ध करते हुये कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये तथा राजस्व निरीक्षक डायवर्सन,अशोकनगर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया। निगरानीकर्ता के द्वारा जबाव पेश किया गया तथा राजस्व निरीक्षक डायवर्सन,

अशोकनगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी। अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा प्रकरण में परीक्षण करने के उपरान्त आदेश दिनांक 16.06.2016 से निगरानीकर्ता पर 1,19,52,000/रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि को मूल स्वरूप में लाये जाने का आदेश दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता के द्वारा प्रथम अपील अपर कलेक्टर,जिला अशोकनगर के न्यायालय में पेश की गयी। अपर कलेक्टर,जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/2015–16/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 12.07.2017 से प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी। निगरानीकर्ता के द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 172/2017–18/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 13.03.2018 से निरस्त की गयी है। परिणामतः निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा जो नोटिस भेजे गये थे, वे निगरानीकर्ता पर विधिवत तामील ही नहीं हुये और न ही नोटिस के संबंध में निगरानीकर्ता को कोई जानकारी दी गयी। निगरानीकर्ता को बिना सूचना दिये तथा सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये निगरानीकर्ता पर जो अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वह स्वतः ही अवैध होकर निरस्तनीय है। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा देवांश गार्डन मानकर जो कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकर्ता का प्रश्नाधीन भूमि पर भवन बना हुआ है जिसकी विधिवत ग्राम पंचायत से अनुमति ली गयी है। निगरानीकर्ता का देवाशं मैरिज गार्डन ग्राम कोलुआ रोड अशोकनगर में है जिसकी ग्राम पंचायत कोलुआ लगती है। इस प्रकार निगरानीकर्ता के विरूद्ध जो कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी है वह विधिवत नहीं है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने यह भी तर्क पेश किये कि अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा संपूर्ण कार्यवाही एवं पारित आदेश राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर हैं,जबकि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के कथन तक नहीं लिये गये। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट बिना साक्ष्य के ग्राह्य ही नहीं है। यह भी तर्क दिये गये कि अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 133/2007 पी0आई0एल0 राजकुमार उपाघ्याय विरूद्ध हरीश गुप्ता एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2009 को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त याचिका एवं निगरानीकर्ता के प्रकरण के तथ्य्

भिन्न,भिन्न होने के कारण उच्च न्यायालय का आदेश निगरानीकर्ता पर लागू नहीं होता हैं। ये सारे तथ्यों को प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालयों के समक्ष उठाये गये थे,किन्तु अपर कलेक्टर,जिला अशोकनगर एवं आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वार उन पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा पारित आदेश की ही पुष्टि की गयी है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किये जावे तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. मैनें प्रकरण में निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि पटवारी ग्राम अशोकनगर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गयी कि कस्वा अशोकनगर में संचालित मैरिज गार्डनों द्वारा व्यावसायिक रूप से कार्य किया जा रहा है, किन्तु उनके द्वारा व्यावसायिक डायवर्सन नहीं कराया गया है, जिसकी सूची निम्न है। इस सूची के सरल क्रमांक 10 पर निगरानीकर्ता द्वारा संचालित देवांश मैरिज गार्डन भी शामिल है। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–20(4)/2015–16 पर पंजीवद्ध करते हुये निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12.02.2016 को भेजा गया एवं दिनांक 16.03.2016 तक जबाव चाहा गया। निर्धारित अवधि में निगरानीकर्ता न तो उपस्थित हुये न जबाव पेश किया गया। दिनांक 25.04.2016 को निगरानकर्ता को अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया। अन्तिम सूचना पत्र दिनांक 25.04.2016 पर भी निगरानीकर्ता अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही हुऐ। अतः राजस्व निरीक्षक (डायवर्सन) एवं पटवारी मौजा से जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया। राजस्व निरीक्षक (डायवर्सन) द्वारा दिनांक 04.06.2016 को प्रतिवेदन पेश किया गया और उसी प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2016 से निगरानीकर्ता पर 1,19,52,000/रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि मूल रूप में लाये जाने का आदेश दिया गया।

अभिलेख के परीक्षण करने से यह तथ्य् सामने आया है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 12.06.2016 को प्रथम कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था, उक्त कारण बताओं सूचना पत्र के अवलोकन से यह प्रकट है कि नोटिस के पृष्ठ भाग पर तामील कुनिन्दा द्वारा किस व्यक्ति पर तामील कराई गयी है,इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया और न ही किसी गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये हैं। दिनांक 14.03.2016 को निर्वाह किये गये नोटिस पर नोटिस प्राप्त करने बाले के जो हस्ताक्षर है, वे भी निगरानीकर्ता के न होकर किसी अन्य व्यक्ति के होना प्रमाणित है। इसी प्रकार दिनांक 25.04.2016 को जारी अन्तिम कारण बताओं सूचना पत्र की स्थिति है। इस पर भी निगरानीकर्ता के मूल हस्ताक्षर न होकर बनावटी हस्ताक्षर किये गये

हैं। इस प्रकार यह निगरानीकर्ता के इस तर्क को बल प्राप्त होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न तो उसे विधिवत सूचना दी गयी और न साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर ही दिया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किये जाने से पहिले न तो निगरानीकर्ता को विधिवत कारण बताओ सूचना दी गयी और न ही उसे अपनी साक्ष्य पेश करने तथा सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्टता प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त की अवहेलना की गयी है। इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर न तो प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया गया और न ही द्वितीय अपील न्यायालय आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा ही कोई विचार किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन दिनांक 04.06.2016 के आधार पर ही अंतिम आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में भी निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक के इस तर्क को बल प्राप्त है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व निरीक्षक (डायवर्सन) के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गयी है,जबकि राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन की पुष्टि में राजस्व निरीक्षक के कथन नही कराये गये हैं जो कि न्यायालयीन प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 172 की टिप्पणी (अ:) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सबूत का भार–यह भार सरकार पर है कि वह यह साबित करे कि धारा 59(1) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही है। सबूत का यह भार पटवारी के कथन से पूरा नहीं हो सकता। यदि राजस्व निरीक्षक का शपथ पर कथन नहीं कराया गया हो तब उसका प्रतिवेदन पुनर्निधारण की कार्यवाही के लिये व्यर्थ है। अनुविभागीय अधिकारी की ओर से प्राप्त प्रकरण पत्रिका में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के समर्थन में कथन लिपिवद्ध नहीं हुये है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

निगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क के समय यह बताया है कि प्रश्नाधीन भूमि निगरानीकर्ता के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि होकर उस पर उसका मकान बना हुआ है तथा यह भी बताया कि संचालित देवांश मैरिज गार्डन ग्राम कोलुआ रोड अशोकनगर में है जिसकी ग्राम पंचायत कोलुआ लगती है। प्रश्नाधीन भूमि नगर पालिका सीमा में भी नही है। इस संबंध में निगरानीकर्ता के द्वारा नगर पालिका परिषद अशोकनगर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 15 मार्च,2005 की छायाप्रति पेश की गयी है। सर्वे क्रमांक 641 में से रकवा 77 वाई 100 में भवन निर्माण करने की अनुमति ग्राम पंचायत कोलुआ द्वारा दिनांक 28.02.2005 को दी गई है,उसकी भी प्रति निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर के समक्ष पेश की गयी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा जो कार्यवाही

निगरानीकर्ता के विरूद्ध की गयी थी,वह प्रारंभ से ही दूषित रही है। दोनों अपीलीय न्यायालयों को इन सब पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 दूषित होने तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य ही नहीं था, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखे जाने में गंभीर त्रुटि की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर, अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेशों को इस निगरानी में स्थिर रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2016, अपर कलेक्टर,जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 विधिसम्मत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाते हैं। निगरानीकर्ता प्रश्नाधीन भूमि का व्यावसायिक डायवर्सन कराने के लिये नये सिरे से विधिवत आवेदन पत्र 15 दिवस में पेश करे। आवेदन पत्र पेश होने पर अनुविभागीय अधिकारी,अशोकनगर मौके की स्थिति अनुसार जितनी भूमि पर मैरजि गार्डन बना हुआ है,उतनी भूमि के संबंध में डायवर्सन की कार्यवाही संहिता में दिये गये प्रावधानानुसार सुनिश्चित करते हुये प्रकरण का तीन माह में निराकरण करें। प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर